राज्य पालिका मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद

भारतीय प्रशासनिक ढाँचे में राज्य स्तर पर संसदीय शासन व्यवस्था बनाई गई है। शासन व्यवस्था का यह ढाँचा संघीय सरकार के अनुरूप है। जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति को संवैधानिक अध्यक्ष बनाया गया है और प्रधानमंत्री को वास्तविक प्रधान उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल को संवैधानिक अध्यक्ष तथा मुख्यमंत्री को वास्तविक प्रधान बनाया गया है।

मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री को राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान एवं सर्वोच्च राजनीतिक शासक माना जाता है। राज्य में राज्यपाल संवैधानिक अध्यक्ष और मुख्यमंत्री वास्तविक प्रधान।

नियुक्ति एवं विमुक्ति

मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 164 के अंतर्गत की जाती है संविधान के अनुच्छेद 164 (1) के अनुसार, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करेगा तथा राज्यपाल के प्रसादपर्यंत अपना पद धारण करेंगे। सामान्यतया राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति या तो आम चुनाव के बाद की जाती है या तब की जाती है जब मुख्यमंत्री के त्यागपत्र देने के कारण या बर्खास्त कर दिए जाने के कारण उसका पद रिक्त हो जाता है। जब विधान सभा के चुनावों में किसी एक दल को विधानसभा में बहुमत प्राप्त हो जाए और उस दल का कोई निर्वाचित नेता हो, तब उसे मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करना राज्यपाल की संवैधानिक बाध्यता है। यदि मुख्यमंत्री अपने दल के आंतरिक मतभेदों के कारण त्यागपत्र देता है। तो उस मंत्री के नए निर्वाचित नेता को मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है। चुनाव में किसी पक्ष के बहुमत ना प्राप्त होने की स्थिति

में राज्यपाल अपने विवेक से मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और उसे नियत समय के अंदर विधानसभा में बहुमत साबित करने का निर्देश देता है।

व्यवहार में मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संबंध में उल्लेखनीय है कि जब किसी राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता अथवा राजनीतिक दलों में गठबंधन की स्थापना नहीं हो पाती तब मुख्यमंत्री का चयन करना दुष्कर हो जाता है। दलीय बहुमत के अभाव में राज्यपाल अपने स्वविवेक की शक्तियों का प्रयोग करता है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री का चयन अनेक कारको एवं परिस्थितियों पर निर्भर करता है। भारत में मुख्यमंत्री चयन की राजनीति में निम्नांकित तथ्य प्रकट हुए हैं:-

- विधान सभा चुनावों में किसी दल को बहुमत प्राप्त ना होने पर राज्यपाल ने स्वविवेक का प्रयोग किया हैं।सामान्यता राज्यपालों ने मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते समय निश्चित एवं समान मापदंडों का सहारा नहीं लिया।
- संविद (गठबंधन) सरकारों में सबसे बड़े घटक दल के नेता को मुख्यमंत्री पद के लिए आमंत्रित किया जाता है ,किंतु दलबदल करने वाले नेताओं अथवा गठबंधन करने वाले छोटे दलों को पुरस्कृत करने के स्वरूप उनके नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाता है।
- मुख्यमंत्री के चयन में राजनीतिक दल के शीर्ष नेतृत्व की इच्छा, प्रधानमंत्री की इच्छा शक्ति, घटकवाद, 2 दावेदार होने पर अपरोक्ष रूप से शक्ति परीक्षण गठजोड़ में पारंगतता के तत्वों का प्रमुख स्थान होता है।

  विगत कुछ वर्षों में मुख्यमंत्री के चयन में लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चयन की प्रवृत्ति का पतन परिलक्षित होता है। शीर्ष नेतृत्व की इच्छा का व्यक्ति अथवा थोपे गए व्यक्ति के रूप में मुख्यमंत्री का चयन एक सामान्य प्रवृत्ति है। मुख्यमंत्री की पद मुक्ति के संबंध में सामान्यतया प्रक्रिया यह है कि मुख्यमंत्री तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक उसे विधानसभा

का विश्वास प्राप्त होता है जब विधानसभा में उसका बहुमत समाप्त हो जाता है तो उसे त्याग पत्र दे देना चाहिए ।यदि वह त्यागपत्र नहीं देता है तो राज्यपाल उसे बर्खास्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री निम्नलिखित स्थितियों में बर्खास्त किया जा सकता है।

- यदि राज्यपाल मुख्यमंत्री को विधानसभा का अधिवेशन बुलाने तथा उसमें बहुमत सिद्ध करने की सलाह दें और यदि राज्यपाल द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर मुख्यमंत्री विधानसभा का अधिवेशन बुलाने के लिए तैयार ना हो तो राज्यपाल मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर सकता है।
- यदि राजपाल अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह प्रतिवेदन दे कि राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा सकता या राष्ट्रपति को अन्य स्रोतों से यह समाधान हो जाए कि राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता तो राष्ट्रपति मुख्यमंत्री को बर्खास्त करके राज्य का शासन चलाने का दिशानिर्देश राज्यपाल को दे सकता है।
- जब मुख्यमंत्री के विरुद्ध राज्य विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए और मुख्यमंत्री त्यागपत्र देने से इंकार कर दे तब राज्यपाल मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर सकता है।

योग्यता

मुख्यमंत्री पद के लिए संविधान में कोई योग्यता नहीं की गई है लेकिन मुख्यमंत्री के लिए आवश्यक है कि वह राज्य विधानसभा का सदस्य हो। इस प्रकार मुख्यमंत्री ने राज्य विधानसभा के सदस्य की योग्यता होनी चाहिए। राज्य विधानसभा का सदस्य ना होने वाला व्यक्ति भी मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किया जा सकता है लेकिन इसके लिए यह आवश्यक है कि वह 6 महीने के अंदर राज्य विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हो जाय।